Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LII (52), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

महिला सशक्तिकरण में मनरेगा की भूमिका : एक आर्थिक अध्ययन

डॉ. ममता पंवार* अनिल कुमार सांगोड़े**

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शास. माधव महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – महिला सशक्तिकरण से आशय महिलाओं के समग्र विकास से है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं वैधानिक क्षेत्रों में निर्णय लेने और अधिकारिता की स्वतंत्रता से है। मनरेगा में महिलाओं को एक तिहाई कार्य की कानूनी स्वीकार्यता देकर उनके आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूत किया है।

शब्द कुंजी –महिला सशक्तिकरण, निर्णय क्षमता, स्वतंत्रता, मनरेगा, आर्थिक सशक्तिकरण।

प्रस्तावना – भारत एक कृषि प्रधान एवं ग्राम्य बाहुल्य राष्ट्र है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.06 करोड़ की थी, जिसमें से 83.35 करोड़ ग्रामों में निवासरतथी। परंतु वर्तमान में भारत की जनसंख्या लगभग 142 करोड़ तक पहुंच चुकी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों का मुख्य व्यवसाय सामान्यत: कृषि है और भारत की कृषि मानसून पर निर्भर है, जो अनिश्चित है। जिसके कारण अल्प वर्षा व अति वर्षा की स्थिति बनी रहती है जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का कोई अन्य साधन उपलब्ध न होने के कारण बेरोजगारी व्यापक रूप में विद्यमान है। विशेषकर ग्रामीण महिलाएं जो कृषि कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न है। हमारे देश में बेरोजगारी व जनसंख्या वृद्धि जैसी ज्वलंत समस्या भयावह रूप ले चुकी है तथा जिस अनुपात में जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसी अनुपात में कृषि एवं कृषि पर आधारित कार्यों का अभाव है। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों को रोजगार उपलब्ध करा पाना संभव नहीं है। अत: रोजगार उपलब्ध न होने के कारण ग्रामवासीशहरों की ओर पलायन करने लगते हैं। गांव से शहरों की ओर पलायन पर रोक लगाने व निवास स्थल पर रोजगार उपलब्ध कराने, ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में सुधार हेतु व महिला श्रमिकों में सशक्तिकरण लाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 5 सितम्बर 2005 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों का एवं वन अधिकार तथा सुखाग्रस्त क्षेत्रों में 150 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। यह पहली ऐसी योजना है जिसमें गारंटी युक्त रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। अप्रैल 2008 से यह कानून भारत के सभी गांवों में लागू है।

शोध अध्ययन के उद्देश्य:

1. महिलाओं के जीवन पर मनरेगा कार्यक्रम के प्रभाव का अध्ययन करना।
2. महिला सशक्तिकरण हेतु मनरेगा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त उपाय सुझाना।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत शोध अध्ययन के विश्लेषण हेतु द्वितीयक समंको को आधार बनाया गया है। द्वितीयक समंको का संकलन महात्मा गांधी नरेगा वेबसाइट एम.आई.एस. मॉड्यूल के वर्ष 2021-22 से 2025-26 के अद्यतन आंकड़ों का प्रयोग किया गया है, द्वितीयक समंको के विष्लेषण हेतु प्रतिशत विधि का प्रयोग किया गया है। द्वितीयक समंको के रूप में महिलाओं को मनरेगा के द्वारा स्वरोजगार एवं उद्यमिता हेतु दी गई सुविधाओं को भी सम्मिलित किया गया है। प्राथमिक समंक के लिए छिन्दवाडा जिले की 100 महिला श्रमिकों से लघु साक्षात्कार के द्वारा सूचनायें एकत्रित की गयी है।

समंको का विश्लेषण – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान हैं और अनुसूची-II पैरा 15 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि रोजगार प्रदान करते समय महिलाओं को इस प्रकार प्राथमिकता दी जाएगी कि कम से कम एक-तिहाई लाभार्थी ऐसी महिलाएँ हों जिन्होंने योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराया हो और काम की माँग की हो।मनरेगा (MGNREGA) में महिलाओं के लिए कई प्रावधान हैं, जिसमें कम से कम एक-तिहाई महिला लाभार्थियों को प्राथमिकता, समान वेतन, कार्यस्थल पर बच्चों के लिए क्रेच सुविधा, महिला मेट (पर्यवेक्षक) की नियुक्ति और स्वयं सहायता समूहों (SHG) के माध्यम से भागीदारी को बढ़ावा देना शामिल है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सशक्तिकरण और लैंगिक समानता सुनिश्चित की जा सके।

मनरेगा में उपलब्ध कराये गये कार्यो दिवसों का अद्यतन डाटा मनरेगा की वेबसाइट पर दर्ज किया जाता है। जिसमें महिलाओं को दिये गये कार्य दिवसों को पृथक से प्रदर्शित किया गया है। विगत 5 वर्षो में महिलाओं को उपलब्ध कार्य दिवसों को निम्न सारणी के अनुसार दर्शाया गया है।

वर्ष	कुल रोजगार दिवस	महिलाओं को प्राप्त रोजगार दिवस	प्रतिशत वृद्धि/कमी
2021-22	72514	55052	75.99%
2022-23	61775	472951	76.55%
2023-24	59933	45974	76.70%
2024-25	57832	44053	76.17%
2025-26	47128	35450	75.23%

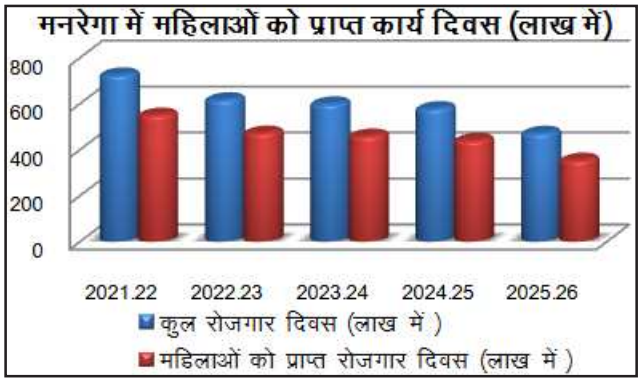

प्रस्तुत सारणी वर्ष 2021 से 2026 तक के रोजगार के आंकड़ों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण आधार प्रस्तुत करती है। इस डेटा का विश्लेषण निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता है।

1. **रोजगार में महिलाओं की उच्च भागीदारी**–सारणी से स्पष्ट है कि कुल रोजगार दिवसों में महिलाओं का हिस्सा बहुत अधिक है। सभी वर्षों में महिलाओं की भागीदारी 75 प्रतिशत से अधिक रही है। यह दर्शाता है कि रोजगार योजनाओं का लाभ उठाने में महिलाएं पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक सक्रिय हैं, जो आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है।

2. **प्रतिशत भागीदारी में स्थिरता**–यद्यपि कुल रोजगार के दिनों में गिरावट आई है, लेकिन महिलाओं की प्रतिशत भागीदारी काफी स्थिर रही है। वर्ष 2023-24 में 76.70 प्रतिशत के साथ उच्चतम भागीदारी शिखर पर थी।वर्ष 2025-26 में यह घटकर 75.23 प्रतिशत न्यूनतम भागीदारी हुई है।यह स्थिरता दर्शाती है कि कार्यबल में महिलाओं की मांग और उपस्थिति दोनों मजबूत बनी हुई है।

3. रोजगार के कुल अवसरों में कमी का प्रभावडेटा का एक चिंताजनक पहलू यह है कि 2021-22 (725.14) से 2025-26 (471.28) तक कुल रोजगार दिनों में लगातार गिरावट आई है।चूंकि महिलाएं इस कार्यबल का 75 प्रतिशत हिस्सा हैं, इसलिए रोजगार के अवसरों में आने वाली किसी भी कमी का सबसे सीधा और बड़ा प्रभाव महिलाओं की आय और उनके आर्थिक सशक्तिकरण पर पड़ता है।2021-22 में महिलाओं को 550.52 दिन का रोजगार मिला था, जो 2025-26 में घटकर 354.50 रह गया है। निष्कर्षत: सारणी महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में दोधारी तलवार जैसी है। एक ओर कार्यबल का नारीकरण हो रहा है। महिलाएं मुख्य धारा के आर्थिक कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। दूसरी ओर कुल उपलब्ध रोजगार में कमी आने से महिलाओं के लिए दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से एक चुनौती हो सकती है। हालांकिकुल रोजगार घटने के बाद भी महिलाओं का प्रतिशत भाग स्थिर है, जो मनरेगा के महिला सशक्तिकरण के महत्व को स्पष्ट करता है।

मनरेगा योजना से महिलाओं को लाभ – महिला श्रमिकों को मनरेगा से प्राप्त आय से लाभदायिता को निम्न आधारों पर स्पष्ट किया जा सकता है-

उपभोग आय– महिलाओं की मनरेगा आय घरेलू आय में उनके योगदान को बढ़ा रही है। सर्वेक्षण में उत्तरदाताओं के एक बड़े भाग ने कहा कि वे नियमित भोजन और उपभोक्ता वस्तुओं पर मनरेगा कार्यों में अर्जित आय व्यय करते हैं। मनरेगा से स्थानीय रूप से आय में वृद्धि हुई है उन्होंने महसूस किया कि मनरेगासे एक दिन में दो नियमित भोजन सुनिश्चित करने में मदद मिल रह है। मनरेगा से खाद्य सुरक्षा और शिशु आहार पर सकारात्मक प्रभाव के कारण शिशु कुपोषण भी कम हो सकता है।

आय में वृद्धि– मनरेगा का मुख्य उद्देश्य घरेलू आय-सृजन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। यह देखा गया है कि मनरेगा ने उनके हाथों में नकद आय बढ़ाने में मदद की जो महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता का एक बड़ा हिस्सा है। सर्वेक्षण से पता चलता है कि महिला कार्यकर्ता पारिवारिक भूमिकाओं और उनके कार्य निर्णयों में योगदान के रूप में अपनी भूमिकाओ के बारे में अधिक आश्वस्त हैं।यह इंगित करता है कि महिला श्रमिकों की क्रय क्षमता में वृद्धि हुई है।

निर्धनता पर प्रभाव– मनरेगा आने से पहले यह देखा गया है कि छिन्दवाडा जिले में निर्धनता का स्तर बहुत अधिक था। अधिनियम के लागू होने के बाद ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। मनरेगा आने से कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है। इससे अंतत: लोगों की आय में वृद्धि हुई और गरीबी के स्तर को कम करने में मदद मिली। क्योंकि ये अपनी स्वच्छता सुविधाओं, पीने के पानी, पोषण स्तर आदि विकसित करने में सक्षम हाने के परिणामस्वरूप जीवन स्थिति में भी सुधार कर पाये हैं।

बेहतर स्वास्थ्य देखभाल–मनरेगा अधिनियम से अध्ययन क्षेत्र में गरीब लोगों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार हुआ है। मनरेगामजदूरी का एक बड़ा भाग स्वास्थ्य देखभाल खर्च किया गया है। लगभग 47 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मनरेगामजदूरीको स्वास्थ्य पर व्यय किया है। अधिनियम के लागू होने के बाद अध्ययनक्षेत्रों की स्वास्थ्य स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। अधिनियम काम के घंटों के दौरान चिकित्सा सुविधा, श्रमिको के बच्चों को भोजन,पीने के पानी की सुविधा आदि भी प्रदान करता है।

घरेलू प्रभाव– महिलाएं अपने परिवार के लिए आर्थिक संसाधनों को बढ़ाने में एक प्रमुख भूमिका निभाती हैं, लेकिन उनके योगदान को बिना किसीकारण के नहीं रखा जाता है क्योंकि उनके प्रदर्शन को मौद्रिक रूप से नहीं माना जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अंतर-घरेलू फैसलों में पुरुष का वर्चस्व देखा गया है। महिलाओं के ऐसे अवैतनिक काम को सशुल्क काम में परिवर्तित करने में मनरेगा का महत्वपूर्ण प्रभाव है और घरेलू मामलों में महिलाओं की निर्णय लेने की भूमिका को व्यापक बनाता है।

कम ऋणग्रस्तता– मनरेगा महिला श्रमिको के ऋण के बोझ को कुछ सीमा तक कम करने में सहायता करता है। लगभग 34 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि उन्होंने छोटे कर्ज चुकाने में अपनी मजदूरी खर्च की है। जिससे वे स्थानीय साहूकारों के चंगुल से खुद को दूर रख सकते है। लेकिन मनरेगा के माध्यम से अर्जित राशि कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

सामुदायिक-स्तर के प्रभाव– संविधान के 73 वें संशोधन के बावजूद भी स्थानीय या जिला स्तर पर शासन प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी कम ही है। लेकिन मनरेगा के लागू होने के बाद महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। मनरेगा के संबंध में आयोजित ग्राम सभा की बैठक में बड़ी संख्या में महिला श्रमिक सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। महिलाओं का सामुदायिक स्तर पर सशक्तिकरण इस अधिनियम की महान उपलब्धियों में से एक है।

निष्कर्ष – निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सरकार की लोकप्रिय योजनाओं में से एक है। जिससे ग्रामीण महिलाओं में सशक्तिकरण का विकास हुआ है। इस योजना का ग्रामीण महिलाओं में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। द्वितीयक समंको के विषलेषण से स्पष्ट है कि मनरेगा में दिये गये कुल रोजगार में महिलाओं को

एक तिहाई रोजगार दिया गया है। जिसने उनकी व्यक्तिगत आय में वृद्धि की है। योजना के माध्यम से ही छिन्दवाडा जिले का ग्रामीण विकास हुआ है तथा छिन्दवाडा जिले में भी महिलाओं को सर्वाधिक रोजगार प्राप्त हुआ है। जिसमें अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती महिलाओं को रोजगार उपलब्धता से आय से आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है। अंत में इसयोजना के संदर्भ में यही कहा जा सकता है कि मनरेगा ने महिलाओं के आर्थिक-सामाजिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

सुझाव – मनरेगा योजना के द्वारा महिला सशक्तिकरण एवं प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निम्न उपायों को अपनाया जा सकता है।

1. कार्यस्थल पर समुचित सुविधा जैसे पेयजल, छप्पर, प्राथमिक चिकित्सा मुहैया करायीजानी चाहिए। अगर 06 साल से कम आयु के 05 या ज्यादा बच्चें हो तो झूलाघर की व्यवस्था की जानी चाहिए और झूलाघर की देखरेख के लिए महिला श्रमिक की नियुक्ति भी की जानी चाहिए।
2. महिला श्रमिकों को शिक्षित किया जाना चाहि, ताकि वे मेटो द्वारा की गई जालसाजी को जान सके।
3. महिला श्रमिकों के खाते खुलवाने के लिए, बैंकों व डाकघरों को स्वयं आगं आना चाहिए तथा बैंकों व डाकघरों को ही खाते खुलवाने से संबंधित औपचारिकताए पूरी करनी चाहिए।
4. सरकार द्वारा किसी उच्च अधिकारी से सामाजिक अंकेक्षण करानी चाहिए ताकि भ्रष्टाचार व गबन जैसी विसंगति को रोका जा सके।
5. महिला श्रमिकों को मातृत्व भत्ता, बेरोजगारी भत्ता व शिकायत निवारण प्रणाली के बारे में जानकारी दी जानी चाहि,।
6. ठेकेदार द्वारा महिला श्रमिकों के प्रति र्दुव्यवहार किए जाने पर सरकार द्वारा उचित कार्यवाही की जानी चाहिए।
7. जहाँ तक संभव हो सके महिलाओं को ग्रामीण सीमा के 05 कि.मी. के अंदर ही रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

शोध पत्र, शोध ग्रंथ एवं शोध रिपोर्ट:

1. भगवंतराव कराड़े एवं योगेष अहिरवार (2021) *:कोविड-19 के दौरान आर्थिक विकास में मनरेगा योजना की प्रभावशीलता का एक अध्ययन, छिन्दवाड़ा जिले के विशेष संदर्भ में'* कोविड-19 का समाज पर प्रभाव अर्थ पब्लिकेशन। ISBN-978-81-951391-4-9 पृष्ठ 84-93।
2. गोरा अन्नू देवी, माधुरी जोशी और राधिका तंवर, (2017),'भारत के राजस्थान के जयपुर जिले में मनरेगा के तहत महिला श्रमिकों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याएं' *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ करंट माइक्रोबायोलॉजी एंड एप्लाइड साइंसेज*, वॉल्यूम 6 (8), पृ. 3591-3596।
3. केषलता (2014),'मनरेगा के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के उत्थान का मूल्यांकन' *आईओएसआर जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस*, खंड 19, अंक 8, संस्करण (अगस्त 2014), पृष्ठ 08-12
4. केशलता और सैयद नदीम फातमी, (2015),'मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के सशक्तिकरण में मनरेगा का योगदान एक विश्लेषणात्मक अध्ययन', *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस इन्वेंशन*, खंड 4, पृष्ठ 58-71
5. सौमेन्द्र, किशोर गुप्ता और कृष्ण सिंह (2013)मनरेगा कार्यक्रम में गरीब महिलाओं की कार्य भागीदारी और दक्षता- भारत के पष्चिम बंगाल के एक जिले का मामला अध्ययन।
6. रविंदर, एम., (2016),'एमजीएनआरईजीएस के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण, तेलंगाना राज्य के वारंगल जिले में एक अध्ययन' *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड मॉडर्न एजुकेशन (आईजेएमआरएमई)*, खंड 2 (1), पृ.309 - 321।

शोध समीक्षायें:

1. मनरेगा समीक्षा 2006 ओरिऐंट ब्लेकस्वान पब्लिकेशन, हैदराबाद तेलगांना।
2. मनरेगा समीक्षा II(अनुसंधान अध्ययनों का संग्रह 2006 से2012)
3. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना का प्रभाव, गरीबी अनुश्रवन इकाई, राज्य नीति आयोग, मध्यप्रदेश।

Online Resources:-

1. https://nreganarep.nic.in/netnrega/state_html/empstatusnewall_scst.aspx?lflag=eng&fin_year=20252026&source=national&labels=labels&Digest=0a5fZ+hdCIswROP5LqpxKg
2. https://nreganarep.nic.in/netnrega/state_html/empstatusnewall_scst.aspx?lflag=eng&fin_year=2024-2025&source=national&labels= labels&Digest=0a5fZ+hdCIswROP5LqpxKg
3. https://nreganarep.nic.in/netnrega/state_html/empstatusnewall_scst.aspx?lflag=eng&fin_year=2023-2024&source=national&labels=labels&Digest=0a5fZ+hdCIswROP5LqpxKg
4. https://nreganarep.nic.in/netnrega/state_html/empstatusnewall_scst.aspx?lflag=eng&fin_year=2022-2023&source=national&labels=labels&Digest=0a5fZ+hdCIswROP5LqpxKg
5. https://nreganarep.nic.in/netnrega/state_html/empstatusnewall_scst.aspx?lflag=eng&fin_year=2021-2022&source=national&labels=labels&Digest=0a5fZ+hdCIswROP5LqpxKg

****